18/9/24 पत्रावली पेश हुई बहस सुना

बहस बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन

दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस

पर मनन किया जाता प्रकरण साक्ष्य

होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली

फैसल शुदा होकर नस्ती से बस्ते में

दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बीलाड़ शहर (जोधपुर)